न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण संख्या 60/2019 (RCMS : 2019/00101) अनवान भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री दलवीर सिंह जाति रायसिख निवासी सादकवाला तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.) बनाम 1. उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ 2. शेर सिंह 3. रणजीत सिंह 4. रवेल सिंह पिसरान बूड सिंह जाति रायसिख निवासीयान 2 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर 5. सतपाल सिंह वल्द मनीराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर 6. तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.11.2019

प्रार्थी के अधिवक्ता श्री विक्रम बिश्नोई उपस्थित है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है इसलिए यह प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है और अब इसमे वह आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है। अतः इस आधार पर खारिज कर दिया जावे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के न्यायालय में विचाराधीन वाद व प्रार्थना पत्र संख्या 202/2018 अनवानी भूपेन्द्र सिंह बनाम शेर सिंह में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। चूंकि अब तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगंढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर